अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर भिन्न राजस्व, राज्य के समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनरूपी आंकड़े नीचे **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**विवरण**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20[1]**
1.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	कर राजस्व	6,695.81	7,039.05	7,107.67	7575.61	7,626.78[2]
	कर भिन्न राजस्व	1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.04	2,501.50
	योग	**8,532.96**	**8,756.29**	**9,471.52**	**10,405.65**	**10,128.28**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	3,611.17	4,343.70	4,801.31	5,426.97	4,677.56[3]
	सहायता अनुदान	11,296.35	13,164.35	13,094.23	15,117.66	15,939.52[4]
	योग	**14,907.52**	**17,508.05**	**17,895.54**	**20,544.63**	**20,617.08**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 व 2)**	23,440.48	26,264.34	27,367.06	30,950.28	30,745.36
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**36**	**33**	**35**	**34**	**33**

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹ 10,128.28 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 33 *प्रतिशित* था। प्राप्तियों का शेष 67 *प्रतिशत* भारत सरकार के विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय के राज्यांश तथा सहायता अनुदान के रूप में था। 2015-2020 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राज्य सरकार की उसके स्वयं के संसधानों से हुई राजस्व प्राप्तियों का *प्रतिशत* 36 से 33 *प्रतिशत* तक गिर गया। 2015-16 से 2019-20 तक राजस्व प्राप्तियों की समग्र

---

1 राज्य सरकार के वित्त लेखे।

2 इसमें मुख्य प्राप्ति शीर्ष 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्त ₹ 3,550.34 करोड़ की राशि सम्मिलित हैं।

3 विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

4 इसमें वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,877.33 करोड़ की राशि सम्मिलित है। कुल प्राप्ति योग्य क्षतिपूर्ति ₹ 2619.10 करोड़ थी ।

प्रवृति **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई हैं:

चार्ट: 1.1

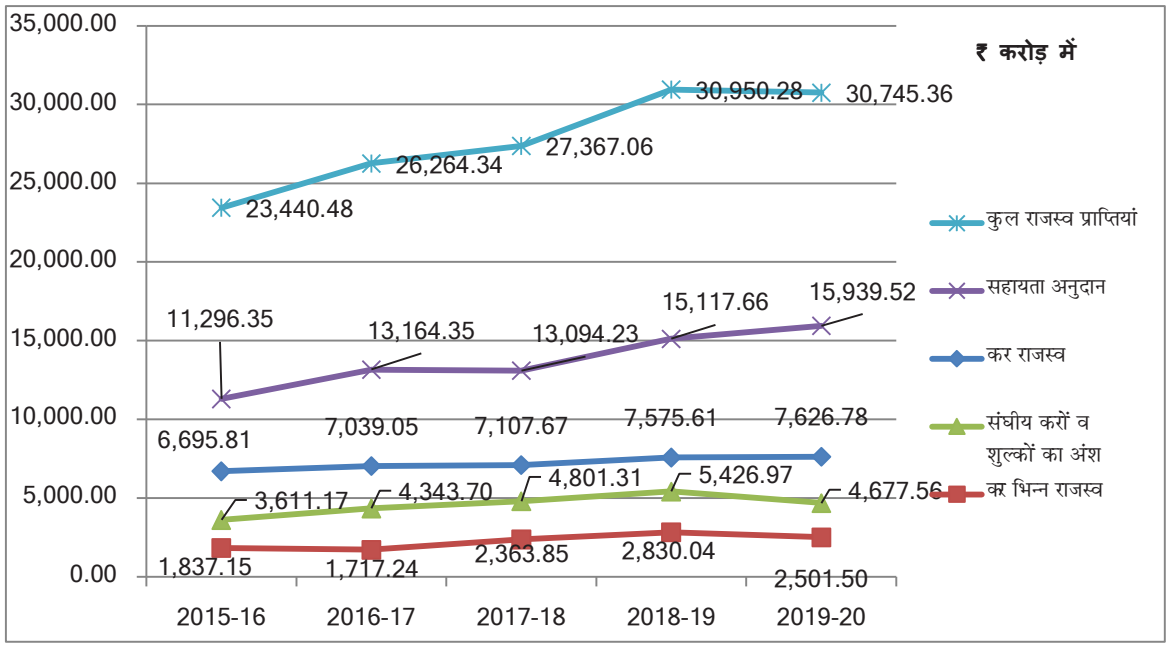

स्रोत: वित्त लेखे

कर राजस्व

1.1.2 वर्ष 2015- 16 से 2019-20 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका: 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण

							₹ करोड़ में
क्र. स.	**राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष**	**कर राजस्व प्राप्तियाँ (कुल कर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)**					**2019-20 में 2018-19 की वास्तविक प्राप्तियों के प्रति वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता**
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	
1.	**बिक्री एवं व्यापार पर मूल्य वर्धित कर**	3,992.99 (59.63)	4,381.91 (62.25)	2525.87 (35.53)	1,185.43 (15.64)	1,169.53 (15.33)	(-)1
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर			1,833.16 (25.79)	3,342.68 (44.12)	3,550.34 (46.55)	6
2.	**राज्य आबकरी**	1,131.22 (16.89)	1,307.87 (18.58)	1,311.25 (18.45)	1,481.63 (19.55)	1,660.02 (21.77)	12
3.	**मोटर वाहन कर**	317.05 (4.74)	279.58 (3.97)	367.16 (5.17)	408.01 (5.39)	465.52 (6.10)	14
4.	**स्टाम्प शुल्क**	205.52 (3.07)	209.16 (2.97)	229.18 (3.22)	250.55 (3.31)	259.58 (3.40)	4
5.	**विद्युत पर कर एवं शुल्क**	551.06 (8.23)	371.67 (5.28)	360.79 (5.08)	487.08 (6.43)	100.86 (1.32)	(-)79

6.	**अन्य**	497.97 (7.44)	488.86 (6.94)	480.26 (6.76)	420.23 (5.55)	420.93[5] (5.52)	0
योग		**6,695.81**	**7,039.05**	**7,107.67**	**7,575.61**	**7,626.78**	**0.68**
गत वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि		**12.72**	**5.13**	**0.97**	**6.58**	**0.68**	
वार्षिक औसत प्राप्ति तथा पाँच वर्षों हेतु वार्षिक औसत वृद्धि दर							**7,208.98/ 5.22**

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष वार कर राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2

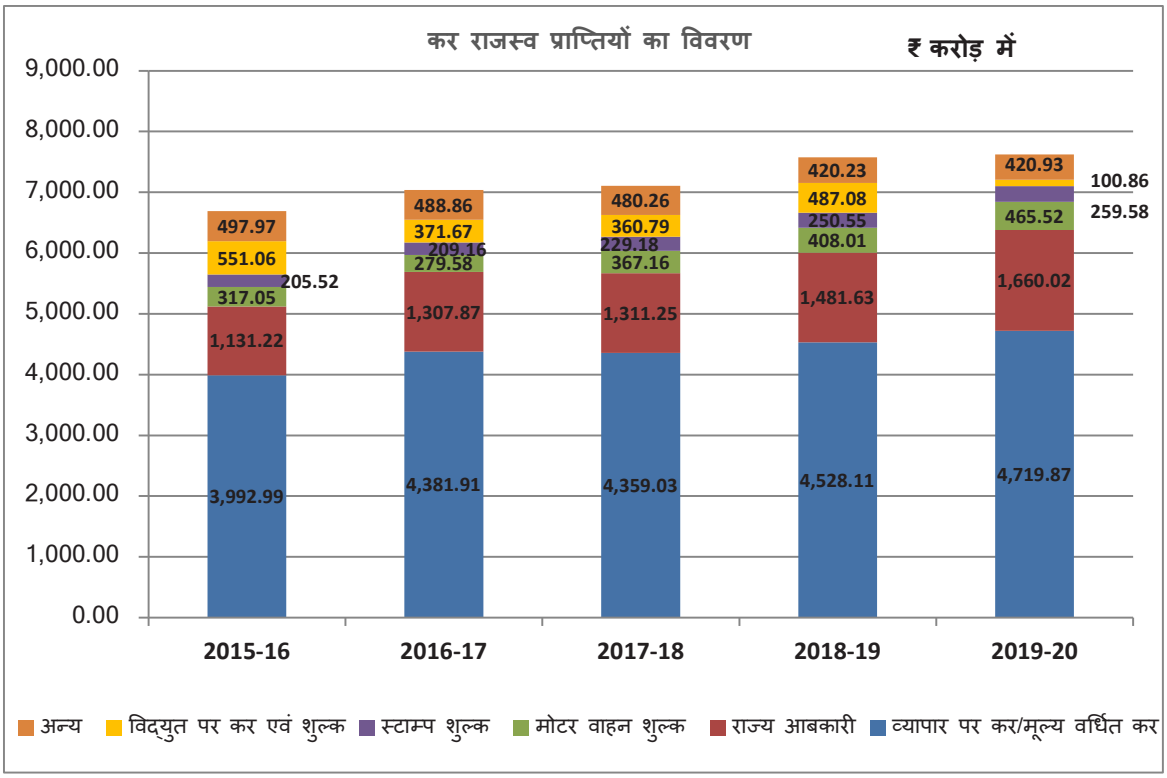

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान 5.22 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर के साथ कर राजस्व में ₹ 930.97 करोड़ (13.90 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। 2019-20 हेतु वृद्धि दर मात्र 0.68 *प्रतिशत* थी, जो मुख्यतः विद्युत पर कर एवं शुल्क की वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट के कारण थी, जो कि 2018-19 के दौरान 35 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान (-)79.29 *प्रतिशत* घट गई। यह गिरावट हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा विद्युत पर कर व शुल्क का भुगतान ना करने के कारण हुई।

[5] अन्य प्राप्तियाँ: भू-राजस्व ₹ 4.79 करोड़, माल व यात्री कर: ₹ 104.03 करोड़ तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क: ₹ 312.10 करोड़ (विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय के अंश को छोड़कर)।

वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** कर संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर के तहत जुर्माना व ब्याज की प्राप्ति के कारण तथा नियमों एवं विनियमों को अच्छे ढ़ंग से लागू करने के कारण हुई।
- **राज्य आबकारी शुल्क: (वर्ष 2019-20)** में वृद्धि मुख्य रूप से लाइसेंस शुल्क व आबकारी शुल्क की बेहतर निगरानी एवं आबकारी नीति 2019-20 को अच्छे ढ़ंग से लागू करने के कारण हुई है।
- **मोटर वाहन कर**: संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 3,041 अधिक वाहनों की बिक्री के कारण हुई है।
- **विद्युत पर कर एवं शुल्क**: प्राप्ति में कमी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बिजली शुल्क का भुगतान ना करने के कारण हुई क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड[6] की वित्तीय स्थिति ख़राब है।

कर भिन्न राजस्व

1.1.3 वर्ष **2015-16** से **2019-20** की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका: 1.3: जुटाए गए कर भिन्न राजस्व का विवरण

₹ करोड़ में

क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ (कुल कर-भिन्न प्राप्तियों का *प्रतिशत*)					2019-20 में 2018-19 की वास्तविक प्राप्तियों से अधिक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1.	विद्युत	923.68 (50.28)	650.93 (37.91)	687.61 (29.09)	1,134.34 (40.08)	1,021.68 (40.84)	(-)9.93
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	93.84 (5.11)	145.56 (8.48)	340.54 (14.41)	385.88 (13.64)	245.36 (9.81)	(-)36.42
3.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	155.08 (8.44)	176.22 (10.26)	441.46 (18.68)	221.05 (7.81)	246.30 (9.85)	11.42
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	34.47 (1.88)	18.50 (1.08)	46.87 (1.98)	76.32 (2.70)	83.61 (3.34)	9.55
5.	लोक निर्माण कार्य	43.00 (2.34)	54.60 (3.18)	55.87 (2.36)	69.92 (2.47)	53.51 (2.14)	(-)23.47
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32.81 (1.79)	42.63 (2.48)	40.45 (1.71)	51.34 (1.81)	49.65 (1.98)	(-)3.29

[6] चूंकि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को रोल बैक सब्सिडी का भुगतान नहीं किया था, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड वर्ष 2019-20 के दौरान बिजली शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ था और बाद में राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली रोल बैक सब्सिडी के साथ वर्ष 2020-21 में ₹ 218.85 करोड़ की राशि को समायोजित किया गया।

7.	**पुलिस**	48.53 (2.64)	50.50 (2.94)	63.33 (2.68)	72.89 (2.58)	55.28 (2.21)	(-)24.16
8.	**अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ**[7]	505.74 (27.53)	578.30 (33.68)	687.72 (29.09)	818.30 (28.91)	746.11 (29.83)	(-)8.82
योग		**1,837.15**	**1,717.24**	**2,363.85**	**2,830.04**	**2,501.50**	**(-)11.61**

स्रोत: वित्त लेखे

2015-16 से **2019-20** के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की वर्ष-वार प्रवृत्ति नीचे चार्ट **1.3** में दर्शाई गई है ।

चार्ट 1.3

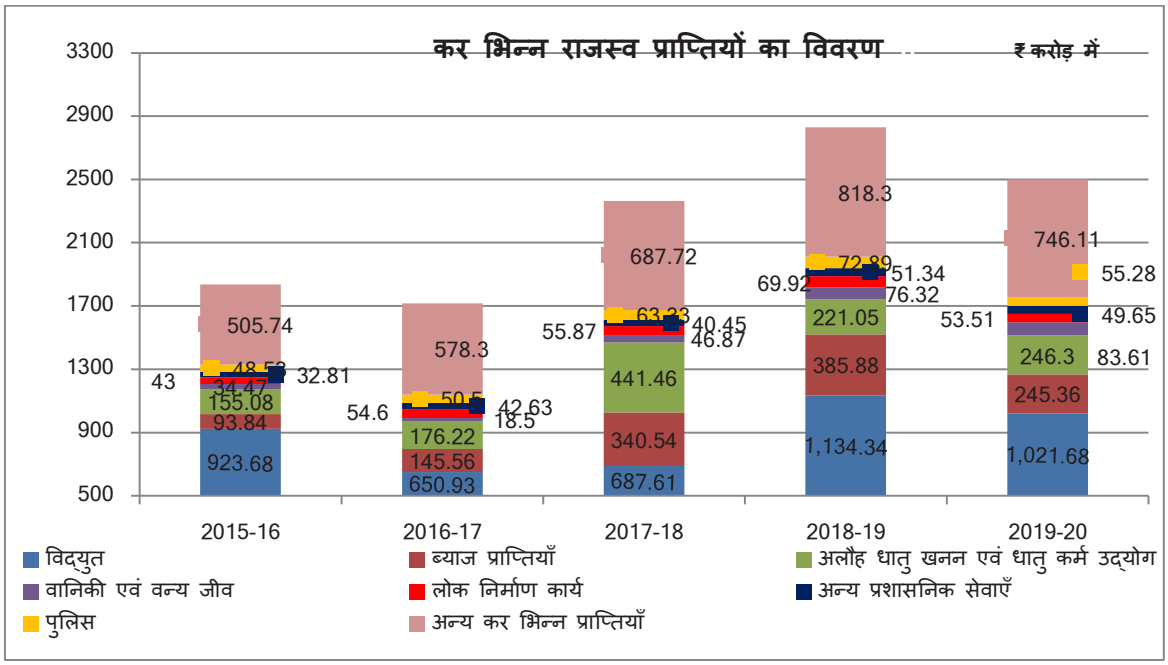

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 में समग्र कर भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ 2018-19 (₹ 2,830.04 करोड़) की तुलना (11.61 प्रतिशत) में घटकर ₹ 2,501.50 करोड़ हो गई। कर-भिन्न राजस्व में मुख्यतः विद्युत (40.84 *प्रतिशत*), अलौह, खनन एवं धातु कर्म उद्योग (9.85 *प्रतिशत*) तथा ब्याज प्राप्तियां (9.81 *प्रतिशत*) मुख्य योगदानकर्ता हैं तथा कुल कर-भिन्न राजस्व में 60.50 *प्रतिशत* का योगदान करते हैं।

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष के दौरान भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गए:

- **वानिकी एवं वन्य जीवन**: वृद्धि मुख्यत राज्य वन निगम व अन्य द्वारा इमारती लकड़ी/लकड़ी की अधिक खरीद, अधिक रॉयल्टी/वनोपज से धन की प्राप्ति, संस्वीकृति शुल्क एवं जब्त इमारती लकड़ी/लकड़ी से अधिक धन की प्राप्ति के कारण थी।

[7] अन्य कर-भिन्न का विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया हैं।

- **पुलिस:** भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड के गार्ड, रेलवे पुलिस व अन्य विभागों से कम वसूली के कारण गिरावट हुई।
- **लोक निर्माण कार्य:** वर्ष 2019-20 में 2018-19 की तुलना में उप शीर्ष 800 "विविध प्राप्तियों" में कम संग्रह के कारण गिरावट हुई। उप शीर्ष के तहत प्राप्ति ₹ 30.52 करोड़ वर्ष 2018-19 से घट कर वर्ष 2019-20 में ₹ 15.49 करोड़ हो गई। विभाग द्वारा विविध प्राप्तियों में कमी का कारण नहीं दिया गया।
- **सहकारिता:** 2018-19 के ₹ 24.65 करोड़ से 2019-20 में ₹ 6.84 करोड़ की गिरावट 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राज्य में समेकित सहकारिता विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यत: राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान योजना से व्यय की प्रतिपूर्ति की प्राप्ति, अधिक भुगतान की वसूली एवं विविध प्राप्ति के कारण है। तथापि, विभाग द्वारा अधिक भुगतान व विविध प्राप्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- **चिकित्सा व जन स्वास्थ्य:** वृद्धि, कबाड़ के स्टॉक की बिक्री व लाइसेंस एवं चिकित्सा परीक्षा के शुल्क की प्राप्ति के कारण हुई।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (अप्रैल 2021)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2020 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में वसूली योग्य राजस्व बकाया की राशि ₹ 4,843 करोड़ थी जिसमें से ₹ 2,726.67 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसे कि **तालिका 1.4** में नीचे दर्शाया गया हैं

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

₹ करोड़ में

क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2020 तक बकाया राशि	31 मार्च 2020 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	3,790.19	2,351.48	वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 274 करोड़ की बकाया राशि की वसूली की गई हैं एवं अधिकांश मामलों को भू-राजस्व का बकाया घोषित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण, वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा, व्यापारियों व कर याचिकाकर्ताओं ने प्रोत्साहन योजनाओं की प्रतीक्षा की जिससे की निपटान का *प्रतिशत* कम रहा। कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में न्यायनिर्णयन के लिए भी लंबित हैं। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर एवं बद्दी में क्रमश: ₹ 215.46 करोड़ एवं ₹ 203.25 करोड़ का बकाया पांच
2.	राज्य आबकारी	268.03	39.76	
3.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	83.90	47.01	
4.	माल एवं वाहन पर कर	7.51	6.45	

				वर्षों से अधिक समय से बकाया था। हालांकि, इकाइयों द्वारा कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था।
5.	**जलपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं लघु सिंचाई**	324.82	235.25	₹ 306.31 करोड़ नगर निगम एवं निगम समिति से बकाया है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए है। फील्ड स्टाफ की कमी के कारण बकाया राशि की वसूली नहीं की गई थी।
6.	**विद्युत पर कर एवं शुल्क**	218.85	0	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली रोल बैक सब्सिडी के साथ वर्ष 2020-21 में ₹ 218.85 करोड़ की राशि को समायोजित किया है।
7.	**वानिकी एवं वन्य प्राणी**	123.07	41.21	अंतर्ग्रस्त राशि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, सरकारी विभागों व ठेकेदारों से वसूली की जानी है। ₹ 41.21 करोड़ में से ₹ 38.22 करोड़ की हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड से वसूली जानी है तथा इसे चरणबद्ध तरीके से जमा किया जा रहा है। अन्य विभागों एवं ठेकेदारों से वसूली जाने वाली राशि बहुत पुराने मामलों से सम्बंधित हैं एवं कुछ मामलों में वसूली के लिए बहुत छोटी राशि शामिल है। ठेकेदारों से वसूली के कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं तथा कुछ को बट्टे खाते में डालने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।
8.	**पुलिस**	14.69	2.29	जुंगा, बनगढ़, सकोह, पंडोह व बेरी की बटालियनों से ₹ 10.80 करोड़ का बकाया लंबित है। वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।
9.	**ग्राम एवं लघु उद्योग**	0.05	0.02	बकाया वर्ष 1980-81 से संचित था। बकाया शैड के किराए (औद्योगिक सम्पदा), सरकारी आवास के किराए व शहतूत के पौधों की बिक्री से प्राप्ति आदि से सम्बंधित था।
10.	**मुद्रण एवं लेखन सामग्री**	6.42	0.77	सर्व शिक्षा अभियान, लालपानी से ₹ 3.71 करोड़, अन्य उद्योगों/ विभागों/निगमों से ₹ 2.71 करोड़ का बकाया वसूली योग्य था तथा वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।
11.	**अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग**	0.88	0.68	बकाया वर्ष 1983-84 से संचित था। बकाया खनन कार्यालयों एवं भू-वैज्ञानिक विंग निदेशालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (मुख्यालय), भू-वैज्ञानिक विंग उद्योग निदेशालय से रॉयल्टी की वसूली/ ड्रिलिंग प्रभारों आदि से सम्बन्धित हैं।
12.	**लोक निर्माण कार्य**	0.28	0.15	बकाया राशि की वसूली करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
13.	**उद्योग**	5.08	1.60	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित था। बकाया भू-खण्ड (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बन्धित था।
योग		**4,843**	**2,726.67**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 कर निर्धारण में बकाया

कर प्राप्ति के विभिन्न विभागों, जैसे राजस्व, परिवहन तथा आबकारी एवं कराधान में से, केवल आबकारी एवं कराधान विभाग के पास रिटर्न दाखिल करने एवं उसके बाद प्राधिकारियों द्वारा उनके निर्धारण का प्रावधान है, इसलिए आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न शीर्षों के तहत कर निर्धारण की बकाया राशि का विश्लेषण किया गया। बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, विलासिता कर व कार्य संविदाओं पर करों के सम्बन्ध में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले, निर्धारण के लिए देय होने वाले मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका: 1.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	अथशेष	2019-20 के निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	2019-20 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत तक शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7=(5/4)
बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर	1,71,389	12,902	1,84,291	35,829	1,48,462	19
केन्द्रीय बिक्री कर	1,52,169	6,147	1,58,316	36,856	1,21,460	23
विलासिता कर	3,812	553	4,365	1,419	2,946	33
निर्माण कार्य संविदा पर कर	1,135	0	1,135	163	972	14
मोटर स्पिरिट कर	30	71	101	34	67	34
योग	**3,28,535**	**19,673**	**3,48,208**	**74,301**	**2,73,907**	**21**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

निपटान का कम *प्रतिशत* (कार्य अनुबंधों पर कर के मामले में 14 *प्रतिशत* एवं मूल्य वर्धित कर में 19 *प्रतिशत)* एक गंभीर चिंता का विषय था क्योंकि राज्य बड़े पैमाने पर लंबित मामलों के कारण राज्य में संभावित राजस्व से वंचित हुआ तथा मूल्य वर्धित कर आकलन में श्रमशक्ति की व्यस्तता के कारण यह वस्तु एवं सेवा कर की दक्षता को प्रभावित कर रहा था। 2018-19 में निपटान का प्रतिशत 25 *प्रतिशत* से घटकर 2019-20 में 21 *प्रतिशत* हो गया जो वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले के पुराने मामलों को निपटाने में विभाग की खराब दक्षता को दर्शाता है।

1.3.1 लंबित अपील मामले

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभागीय स्तर पर 538 मामले लम्बित हैं। इनमें से 366 मामले 1996-97 से पहले के वर्ष से संबंधित हैं। लंबित अपील मामलों की उच्च संख्या से पता चलता है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई प्रबल प्रयास नहीं किए गए हैं।

इस प्रकार, बड़े पैमाने पर लम्बित प्रकरणों के कारण राज्य सरकार राजस्व से वंचित रही। यदि विभाग समय पर पहल करता तो राजस्व की वसूली समय पर हो सकती थी।

1.3.2 इकोनोमिक इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा पता लगाए गए मामलों के तहत बकाया मामलों का लंबित होना

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान इकोनोमिक इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा 298 मामलों का पता लगाया गया। इनमें से, केवल 22 मामलों को अंतिम रूप दिया गया एवं ₹ 64.37 करोड़ की अतिरिक्त मांग बनाई एवं वसूल की गई, जिससे शेष 276 मामले (93 *प्रतिशत*) लम्बित रहे। इकोनोमिक इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा पता लगाए गए मामलों को अंतिम रूप देने की खराब दर (सात *प्रतिशत*) से विभाग की उक्त मामलों को अंतिम रूप देने में शिथिलता दर्शाती है।

वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के चार साल बीत जाने के बावजूद, मूल्य वर्धित कर के 1,48,462 मामले एवं केन्द्रीय बिक्री कर के 1,21,460 मामले आंकलन के लिए लंबित हैं, जिन्हें मौजूदा दर (20-25 *प्रतिशत*) पर लंबित निर्धारणों को निपटाने एवं निस्तारण में और पांच वर्ष लग सकते हैं। विभाग को मूल्य वर्धित कर निर्धारण के तहत बकाया मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर निर्धारण की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है।

1.4 कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभागों द्वारा उजागर किए गए कर अपवंचन के मामले, निर्णीत मामले तथा विभाग द्वारा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगो का विवरण नीचे **तालिका 1.6** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्र. स.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2019 तक अथशेष	2019-20 के दौरान उजागर मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमे निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2020 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर	65	731	796	731	3.25	65
2.	राज्य आबकारी	72	838	910	848	2.46	62
3.	यात्री एवं माल कर	36	16,571	16,607	16,586	7.23	21
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7	1,268	1,275	1,239	5.57	36
योग		**180**	**19,408**	**19,588**	**19,404**	**18.51**	**184**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

आबकारी एवं कराधान विभाग में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आरम्भ में अंतिम रूप देने के लिए कुल लंबित 180 मामले वर्ष 2019-20 के अंत तक बढ़कर 184 हो गए। राजस्व विभाग द्वारा "भू-राजस्व" शीर्ष के तहत कर अपवंचन का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

1.5 प्रतिदाय मामले

वर्ष 2019- 20 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय तथा वर्ष 2019-20 के अन्त तक लंबित मामलों के विवरण **तालिका 1.7** में दर्शाए गए है।

तालिका 1.7: लम्बित प्रतिदाय मामले

क्र. स.	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे**	48	11.51	23	1.08
2.	**वर्ष के दौरान प्राप्त दावे**	197	59.69	54	3.42
3.	**वर्ष के दौरान किया गया प्रतिदाय**	195	48.27	71	4.31
4.	**वर्ष की समाप्ति पर शेष बकाया**	50	22.93	6	0.20

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष की शरुआत के बकाया मामलों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर हेतु बढ़ गई तथा राज्य आबकारी हेतु घट गई।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय हिमाचल प्रदेश, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जाँच करने तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान उजागर की गई तथा मौके पर न निपटाई गई अनियमिताओं को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया जाता है तथा इसकी प्रतियां निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों सहित उच्च अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट अभियुक्तियों की अनुपालना करना आवश्यक है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा को प्रधानमहालेखाकार द्वारा सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है।

विभागों/सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के मामले को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे परिच्छेदों के अंत में दर्शाया गया है। मार्च 2020 तक जारी की गई, 2,174 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 7,240 लेखापरीक्षा आपत्तियों में अंतर्ग्रस्त ₹ 1652.13 करोड़ की राशि जून 2020 के अंत तक

बकाया थी जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़ों सहित **तालिका** 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका: 1.8 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2018	जून 2019	जून 2020[8]
निपटन हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,660	2,742	2,174
बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,924	8,439	7,240
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,958.98	2,209.43	1,652.13

स्रोत: विभागीय आंकड़े

30 जून 2020 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विवरण तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि **तालिका 1.9** में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 1.9: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्र. स.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री तथा व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर	183	1236	567.08
		राज्य आबकारी	88	396	592.73
		यात्री व माल कर	193	464	72.28
		वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	94	125	0.01
		मनोरंजन एवं विलास कर	83	178	14.00
2.	**राजस्व**	भू-राजस्व	43	95	0.83
		स्टाम्प एवं पंजीयन फीस	737	1,829	65.19
3.	**परिवहन**	मोटर वाहन कर	753	2,917	340.01
योग			2,174	7,240	1,652.13

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए 204 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 140 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से चार सप्ताह की निर्धारित अवधि के बाद लेखापरीक्षा को प्रथम उत्तर[9] भी प्राप्त नहीं हुए।

लेखापरीक्षा का उददेश्य यह जांच करना कि क्या निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है तथा गैर-अनुपालना, व्यवस्थागत कमियों एवं विफलताओं के मामले को उजागर करना है। निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निपटान हेतु लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों की बढ़ती संख्या लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को इंगित करती हैं। इन लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाता है तथा राजस्व की हानि के जोखिम को बढ़ाता

[8] इसमें वन विभाग से सम्बन्धित आंकड़े शामिल नहीं है।

[9] एक लेखापरीक्षा योग्य इकाई के प्रभारी अधिकारी को एक लेखापरीक्षा नोट या निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब भेजना होता है।

है। लेखापरीक्षा द्वारा लगातार इंगित लंबित लेखापरीक्षा परिच्छेदों में वृद्धि का मामला सरकार द्वारा तत्काल ध्यान देने योग्य है।

1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के पर्यवेक्षण तथा निपटान में तीव्रता लाने के लिए सचिव की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया था। वर्ष 2019-20 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण नीचे **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्र स.	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लम्बित परिच्छेदों की संख्या	निपटाये गये परिच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	1	2,352	174	1.28
2.	राजस्व	1	1,589	51	0.12
3.	यातायात	1	2,598	20	0.02
योग		**3**	**6,539**	**245**	**1.42**

स्रोत: राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), शिमला

2019- 20 में, अप्रैल 2019 तक 6,539 बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों में से ₹ 1.42 करोड़ राशि से अन्तग्रस्त 245 आपत्तियां (3.75 *प्रतिशत*) ऊपर उल्लेखित विभागों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकों में समायोजित की गई।

सरकार सभी विभागों में नियमित अन्तराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.6.2 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को 27 प्रारूप परिच्छेद फरवरी 2021 तथा मई 2021 के मध्य भेजे गये थे, जिसमें से 18 परिच्छेदों को इस प्रतिवेदन में स्थान दिया गया है।

1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई- सारांशित स्थिति

लोक लेखा समिति ने अधिसूचित किया (दिसम्बर 2002) कि भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, इन प्रावधानों के बावजूद भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियों में असाधारण विलम्ब था। हिमाचल प्रदेश सरकार के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 तथा 2018 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 112 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 10 अप्रैल 2015 तथा 14 दिसम्बर 2019 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु संबंधित विभागों से

इन परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पियां (एक्शन टेकन नोट्स) विभागों से बहुत देरी से प्राप्त हुए थे, जैसा कि **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.11: एक्शन टेकन नोट्स की प्राप्ति में विलम्ब

क्र स.	समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त करने की अवधि	एक्शन टेकन नोट्स की प्राप्ति में विलम्ब
1.	**2014**	10 अप्रैल 2015	2015 से 2018	1 से 37 महीने
2.	**2015**	07 अप्रैल 2016	2016 से 2018	2 से 24 महीने
3.	**2016**	31 मार्च 2017	2017 से 2018	5 से 15 महीने
4.	**2017**	05 अप्रैल 2018	2018 से 2019	0 से 14 महीने
5.	**2018**	14 दिसम्बर 2019	2020 से 2021	6 से 13 महीने
6.	**2019**	13 अगस्त 2021	अभी प्राप्त की जानी है	

वर्ष 2019-20 के दौरान लोक लेखा समिति ने राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2008-09 से 2016-17) से सम्बन्धित 30 परिच्छेदों पर चर्चा की।

1.7 लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0040' के तहत मूल्य वर्धित कर की विस्तृत स्थिति

मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0040'- बिक्री, व्यापार कर/मूल्य वर्धित आदि पर कर के तहत आबकारी विभाग के लिए पिछले दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल परिच्छेदों व निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा इसका विवरण आगामी **परिच्छेदों 1.7.1** से **1.7.3** में दिया गया है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदन

पिछले दस वर्षों के दौरान मूल्य वर्धित कर से सम्बन्धित जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति, 31 मार्च 2020 तक इन निरीक्षण प्रतिवेदनों, में सम्मिलित परिच्छेद तथा उनकी संक्षिप्त स्थिति ***परिशिष्ट* 1.3** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2010-11 के प्रारंभ में 718 परिच्छेदों सहित 144 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की तुलना में 2019- 20 के अन्त तक 947 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 149 हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किया गया तत्सम्बधी मुद्रा मूल्य ₹ 57.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 616.15 करोड़ हो गया।

1.7.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा स्वीकृत पिछले दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा वसूल की गई राशि की स्थिति ***परिशिष्ट 1.4*** में दर्शाई गई है।

वसूली की प्रगति स्वीकृत मामलों में भी बहुत धीमी थी, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत परिच्छेदों में ₹ 96 करोड़ के कुल वसूली योग्य राजस्व के प्रति केवल ₹ 5.38 करोड़ की ही वसूली की गई।

आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामलों की वसूली तथा वसूल की गई राशि को नीचे **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट: 1.4

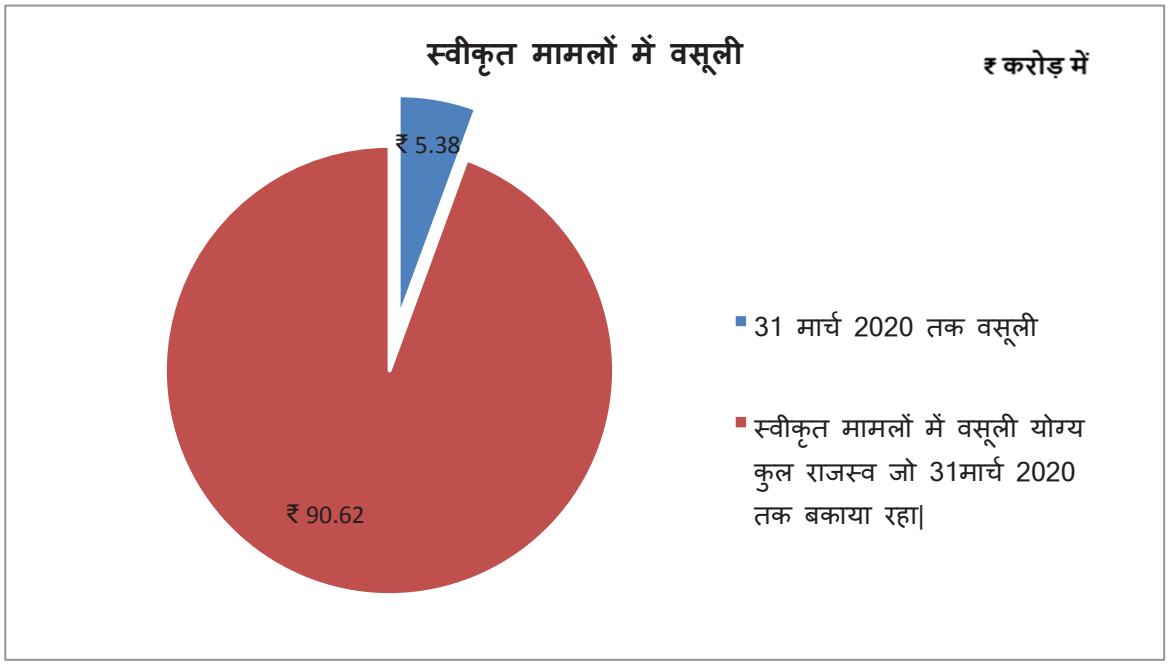

स्रोत: लोक लेखा समिति, राजस्व क्षेत्र, शिमला

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा की गई निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारूप प्रतिवेदन (ड्राफ्ट रिपोर्ट) संबंधित विभाग/सरकार को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अंतिम बैठक में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभाग/सरकार के विचारों को शामिल किया जाता है।

मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0040' के अंतर्गत मूल्यवर्धित कर पर निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को शामिल किया गया था जो वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया **गया था, जैसा** कि **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

क्र स.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक	निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई अनुशसाओं की संख्या	टिप्पणियां
1	2014-15	मूल्य वर्धित कर के तहत मूल्यांकन की प्रणाली	पांच	विभाग ने पांच में से तीन अनुशसाओं को स्वीकार कर लिया है।

वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के माध्यम से एचएसएन कोड के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा की अनुशसाओं का अनुपालन किया गया है। विभाग ने विक्रेताओं का पंजीयन न होने एवं

समय पर नोटिस जारी न करने के संबंध में लेखापरीक्षा अनुशंसा के संदर्भ में निरीक्षण एवं निगरानी हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किये थे।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभागों में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग को अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना-जांच करना अपेक्षित था।

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाइयां की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाइयां की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	6	2	4
राजस्व	173	25	-	25
परिवहन				

स्रोत: विभागीय आंकड़े

आबकारी एवं कराधान विभाग तथा राजस्व विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण स्टाफ की कमी बताया। परिवहन विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा से सम्बंधित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 506 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ हैं, जिनमें से 204 इकाइयों[10] की योजना बनाई गई थी और 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2019-20 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन, एवं माल व यात्री कर की 204 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उजागर की गई कमियों के 1,159 मामलों में ₹ 541.95[11] करोड़ की कुल राजस्व हानि थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान, संबंधित विभागों ने 311 मामलों में ₹ 55.70 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिसमें से 11 मामलों में ₹ 0.03 करोड़ की वसूली की गई। संबंधित विभागों ने पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 276 मामलों[12] में ₹ 3.39 करोड़ की राशि को स्वीकार किया एवं वसूली की।

---

10 इन इकाइयों में तीन विभागों के अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं - आबकारी, परिवहन और राजस्व विभाग, शिमला

11 बिक्री और व्यापार पर मूल्य वर्धित कर: राशि: ₹ 127.77 करोड़: मामले: 296; राज्य आबकारी: राशि: ₹ 313.97 करोड़: मामले: 119; स्टाम्प शुल्क: राशि: ₹ 59.19 करोड़: मामले: 487; वाहनों, यात्री एवं माल पर कर: राशि: ₹ 41.02 करोड़ मामले: 257

12 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क ₹ 68.58 लाख, मामले 106; एमवीटी ₹ 91.01 लाख, मामले 07; राज्य आबकारी ₹ 82.32 लाख, मामले 07; मूल्य वर्धित करों ₹ 96.64 लाख, मामले 156

1.11 रिपोर्ट की व्याप्ति

इस रिपोर्ट में ₹ 168.27 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाले 18 परिच्छेद हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 133.59 करोड़ से अंतर्ग्रस्त लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से 14 परिच्छेद में ₹ 34.48 करोड़ की वसूली की गई।